आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मुंगेर

दाखिल खारिज रिविजन वाद सं0-12/2017-18

श्री विनोद कुमार चौधरी

बनाम्

टुनटुन कुमार साह एवं अन्य

आदेश

वादी श्री विनोद कुमार चौधरी, पे0-स्व0 हरिचरण चौधरी, सा0-नया गाँव, थाना-कोतवाली, जिला-मुंगेर ने मौजा-शामपुर, तौजी नं0-1463, सीट नं0-17, खेसरा-3045, रकवा-5 कट्ठा 12 धुर तथा खेसरा नं0 3046 में रकवा- 1 कट्ठा, 1 धुर, 15 धुरकी इस प्रकार कुल रकवा 6 कट्ठा 13 धुर 15 धुरकी भूमि से संबंधित दाखिल खारिज अपील वाद सं0-19/2016-17 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर द्वारा दिनांक-22.06.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया गया है। वाद के ग्रहण के विंदु के पश्चात् विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से एल0सी0आर0 की मांग की गयी। विपक्षी बकालतनामा के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए एवं निम्न न्यायालय का एल0सी0आर0 प्राप्त हुआ जो कि अभिलेखवद्ध है। तत्पश्चात् इस संदर्भ में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी कथित केबाला जिसका खेसरा नं0-3045, 3046 तौजी नं0-1463, मौजा-शामपुर, रकवा 01 कट्ठा 10 धुर जो कुन्दन कुमार से खरीद किए है जिसे रीता देवी द्वारा POWER OF ATTORNEY के माध्यम से बिक्री करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। विपक्षी द्वारा मोख्तारनामा के आधार पर बिक्री केबाला के द्वारा नामांतरण करने हेतु सदर अंचल में आवेदन दाखिल किया गया। मोख्तारनामा में वर्णित खेसरा नं0-3048, 3047, 3046, 3045 एवं 3051 का कुल रकवा 20.79 डी0 दर्शित किया गया है। रीता देवी को प्रस्तुत वर्णित दस्तावेज तथा तथाकथित खेसरा 3045 एवं 3046 को अपने पति के पूर्वज से उत्तराधिकार से स्वत्व दखल कबजा एवं हक प्राप्त हुआ अथवा नहीं। तथाकथित खेसरा का खतियानी हक रीता देवी के पूर्वज को प्राप्त था या नहीं इस संबंध में मुंगेर म्युनिसिपल सर्वे खेसरा अभिप्रमाणित प्रति से विदित होता है कि रीता देवी के ससुर झींगल साव व धना

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

साव के नाम कॉलम में दिखाया गया है जो खेसरा नं0 3047 एवं 3048 एवं होल्डिंग नं0 102 से हितवद है। प्रस्तुत खेसरा का ही रीता देवी को मोख्तारनामा निष्पादित करने का अधिकार था परन्तु रीता देवी ने मुंगेर म्युनिसिपल सर्वे खेसरा खतियान के एवं अपने पति के पूर्वज के हक एवं हकियत अवलोंकन किये बिना कुन्दन कुमार को अपिलार्थी का खेसरा नं0-3045, 3046 का सामान अधिकार पत्र मोख्तारनामा निष्पादित किया जो वैद्य नहीं है एवं सामान अधिकार मोख्तारनामा धारित कुन्दन कुमार को प्रस्तुत तथाकथित खेसरा 3045, 3046 का कोई भी हित प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में मात्र 4 कट्ठा 8 धुर 5 धुरकी झिंगल साह के नाम से बिना खाता एवं खेसरा दर्शित किये ही जमावंदी सं0-38 कायम किया गया है एवं विपक्षी कथित केबाला के आधार पर अपिलार्थी का खेसरा नं0-3045 एवं 3046 को प्रतिस्थापित कर नामांतरण को स्वीकृत किया गया है। मौजा-शामपुर, तौजी नं0-1463, खेसरा नं0-3045, 3046 सर्वे सीट नं0 17 से रकवा 5 कट्ठा 12 धुर बजीर मंडल तथा खतियानी रैयत शेखों मंडल पे0-बंशी मंडल से मौजा-शामपुर, तौजी नं0-1463, सर्वे सीट नं.-17 से एवं खेसरा 3046 का रकवा 1 कट्ठा 1 धुर 15 धुरकी उल्फी केवाला से प्राप्त किया है। केबाला के उपरान्त अपीलार्थी के पूर्वज लोको केवट को दखल कबजा एवं स्वत्व दोनों खतियानी रैयत क्रमशः बजीर मंडल एवं शेखों मंडल के द्वारा प्राप्त हुआ। मुंगेर म्युनिसिपल सर्वे 1917 में दोनों खतियानी रैयत का प्लॉट नं0 3045 एवं 3046 कॉलम में दर्शाया गया है। अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से अंचल सिरिस्ता सदर, मुंगेर में उल्फी केबाला के आधार पर नामांतरण दाखिल खारिज किया गया है जिसका राजस्व रसीद भी निर्गत हो रही है। मौजा-शामपुर, तौजी नं0-1463, खेसरा नं0-3045 एवं 3046, सर्वे सीट नं0-17 से रकवा 5 कट्ठा 12 धुर बजीर मंडल एवं क्रमशः खतियानी रैयत शेखों मंडल पे0-बंशी मंडल से मौजा-शामपुर, तौजी नं0-1463, सर्वे सीट नं0-17 एवं खेसरा नं0-3046 रकवा 1 कट्ठा 1 धुर 15 धुरकी उल्फी केबाला से प्राप्त किया है। केबाला के उपरान्त लोको केवट को दखल कब्जा एवं स्वत्व प्राप्त हुआ। जमींदार दूर्गा लाल पंडित वासुदेवपुर मुंगेर द्वारा जमींदारी रसीद, लोको केवट के पक्ष में 6 कट्ठा 13 धुर 15 धुरकी जमींदार द्वारा मालगुजारी रसीद दिया गया है। दिनांक-05.01.1941 को पंच द्वारा आपसी बंटवारा के फलस्वरूप अपीलार्थी के पूर्वज केवट को 1 कट्ठा 13 धुर 15 धुरकी मौजा-शामपुर, तौजी नं0-1463, खेसरा नं0-3045 एवं 3046 से प्राप्त हुआ जिसका जमावंदी नं0-27 कायम किया गया। प्रस्तुत जमावंदी सं0-27 का 2016-17 तक रसीद अपीलार्थी के पूर्वज बसंत केवट के नाम से निर्गत किया गया है। इस प्रकार लंबे अर्से से अपीलार्थी के पूर्वज का लगान राजस्व रसीद निर्गत हो रहा है। इस संदर्भ में टुनटुन साह द्वारा गलत तरीके से दाखिल खारिज करा कर अपने पक्ष में जमावंदी कायम कराया गया है। आवेदक

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित आवेदन में यह भी स्पष्ट किया है कि विपक्षी को प्रस्तुत अपीलार्थी का खेसरा नं0-3045, 3046 खेसरा से कोई सरोकार नहीं है एवं विपक्षी टुनटुन साह के पक्ष में अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर ने मोख्तारनामा को आधार बनाकर जो जमावंदी कायम करने का आदेश निर्गत किया गया है वह विधि के अनुसार पोसनीय नहीं है। इस आलोक में वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर के दाखिल खारिज अपील वाद सं0-19/2016-17 में दिनांक-22.06.2016 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है।

इस संदर्भ में द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार के दिनांक-22.06.2017 को त्रुटिपूर्ण बताते हुए दाखिल किया गया है, जिसके माध्यम से अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0-2096/2015-16 के पारित आदेश को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। दूसरा तथ्य यह है कि वादी के द्वारा स्वयं को लोको केवट का उत्तराधिकारी बताते हुए अंचल अधिकारी के समक्ष टुनटुन कुमार साह के पक्ष में विधिसम्मत प्रक्रिया के उपरांत कायम किए गये जमावंदी को रद्द करने एवं उक्त जमीन को अपनी जमीन घोषित करने एवं नापी कर दखल कब्जा दिलाने का आवेदन दाखिल किया जिसे अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0-2096/2015-16 में पारित अंतिम आदेश के द्वारा खारिज कर दिया गया। अंचल अधिकारी के द्वारा पारित उक्त अंतिम आदेश के विरूद्ध आवेदक ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर के समक्ष दाखिल खारिज अपील दायर किया है जिसके विचारण के उपरांत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर द्वारा आवेदक के आवेदन को खारिज कर दिया गया जिसे आक्षेपित करते हुए आवेदक ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर के द्वारा 22.06.2017 के पारित आदेश से क्षुब्ध होकर टुनटुन कुमार साह के नाम से कायम जमावंदी संख्या 563 को रद्द करने हेतु अनुतोष की प्राप्ति हेतु यह रिविजन वाद सं0-12/2017-18 लाया है। प्रस्तुत वाद में निम्न न्यायालय का पारित आदेश को आक्षेपित करते हुए दिनांक-08.08.2017 को दाखिल किया गया है। यह वाद परिसीमा विधि के प्रावधानों के प्रतिकुल होने के कारण ग्रहण योग्य भी नहीं है। क्योंकि विधिक प्रावधानों के अनुसार परिसीमा विधि से संबंधित तथ्यों को वादी के द्वारा अपने वाद पत्र या पृथक पत्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास तक नहीं किया गया। निम्न न्यायालय का दाखिल खारिज वाद सं0-2095/2015-16 में स्पष्ट किया है कि वादी के द्वारा अपने कथन के आधारस्वरूप प्रस्तुत उल्फी केबाला के संदर्भ में विचारण की अधिकारिता सिर्फ सिविल न्यायालय को है जबकि कार्यपालक न्यायालय के द्वारा दाखिल खारिज हेतु मूल रूप से दखल कब्जा को देखा जाता है जो विपक्षी के पास है। अतः वादी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। वादी

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से अपने पूवर्ज लोको केवट के स्वत्व प्राप्त होने तथा तथ्य अंकित किया है जबकि उक्त वाद के अंतिम चरणों में उक्त तिथि का उल्फी केवाला होने की बात कह रहे है जिसका मूल उद्देश्य न्यायालय को अंधकार में रखकर वाद को ग्रहण कराना है और प्रतिवादी को क्षति पहुँचाकर आर्थिक लाभ पहुँचाना है। क्योंकि आवेदक इस तथ्य को जानता है कि वाद पत्र में उल्फी केबाला दाखिल करने पर इस न्यायालय को विचारण की अधिकारिता नहीं रहेगी। अतः निबंधित केबाला लिख कर वाद को ग्रहण कराया जाय। वादी का यह भी कथन है कि न्यायालय सिर्फ उन्हीं तथ्यों, दस्तावेजों का अवलोंकन कर सकती है जिसका पूर्ण विवरण दायर वाद पत्र में दिया गया है किसी भी सुरत में निबंधित केलावा के स्थान पर उल्फी केवाला को दाखिल करने अथवा उसका अवलोंकन करना न्यायोचित नहीं है। आवेदक के द्वारा यह भी विदित कराया है कि वर्णित भू-खण्ड 06 कट्ठा 13 धुर 15 धुरकी जमीन जो लोको केवट ने निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदा था उसका अंचल सिरिस्ता में उनके नाम से जमावंदी कायम किया गया है और लगान रसीद सारी जमीन का लोको केवट के नाम से काटा गया है। किन्तु सम्पूर्ण अभिलेखों के अवलोंकन से स्पष्ट है कि आजतक आवेदक ने विवादित जमीन के कुल रकवा 06 कट्ठा 13 धुर 15 धुरकी का ऐसा कोई लगान रसीद दाखिल नहीं किया है साथ ही अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर के द्वारा निर्गत पत्रांक-908 दिनांक-06.03.2018 के द्वारा लोको केवट, पे0-ठाकुर केवट के नाम से अभिलेख में सिर्फ 4 धुर जमीन की जमावंदी सं0-31 कायम है जिसका लगान रसीद आवेदक के द्वारा वर्ष 1971 से ही नहीं काटा गया है। क्योंकि आवेदक को भय है कि इससे आवेदक की जालसाजी विदित हो जायेगी। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में यह भी कहा है कि लोको केवट की मृत्यु के उपरांत विवादित जमीन जो लोको केवट के नाम दर्ज है, से तीन व्यक्तियों के नाम पर जमावंदी कायम हुई जो विवादित खेसरा से संबंधित है। जबकि यह स्पष्ट है कि लोको केवट के नाम से विवादित जमीन से संबंधित जमावंदी कायम होने का कोई प्रमाण दाखिल नहीं है। ऐसी सुरत में उसी जमीन की जमावंदी तीन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम कायम किया जाना संभव नहीं है। साथ ही आवेदक के द्वारा अपने कथन को साबित करने का प्रयास तक नहीं किया गया है। तथाकथित वसंत केवट, कन्हाय केवट, तथा भोगिया केवटीन के बीच क्या संबंध था जो तीनों के प्राप्त जमावंदी सं0-27, 37 तथा 50 में एक ही प्लॉट होने के बाबजूद तीनों पूर्वजों को अलग-अलग रकवा प्रदान किए जाने के कारणों को स्पष्ट करता है साथ ही इन तीनों का लोको केवट से संबंध को स्पष्ट करता है। उक्त जमावंदी की रसीद का खेसरा नं0-3045 एवं 3046 से संबंधित होना भी प्रमाणित करता हो। वादी द्वारा अपने आवेदन में सिर्फ तौजी नं0 अंकित कर न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। वादी द्वारा मूल जमावंदी धारा झिंगल साह

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

की जमावंदी से विपक्षी को हक व दखल प्राप्त हुआ है उसके मालगुजारी रसीद में खाता तथा खेसरा नं0 नहीं होने का तथ्य उठाया है जबकि स्वयं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किसी भी रसीद में संबंधित खाता व खेसरा अंकित नहीं है। विदित हो कि झिंगल साह की जमीन रीता देवी के माध्यम से विपक्षी को प्राप्त हुई है और विपक्षी के नाम से कायम जमावंदी का रकवा बसंत केवट या लोको केवट के जमावंदी के रकवा से घटना ही प्रमाणित होता है कि जिस जमीन की जमावंदी विपक्षी सं0-1 के नाम से कायम किया गया है वह आवेदक के किसी पूर्वज से संबंधित नहीं है। अतः उसपर आक्षेप करने की अंश मात्र भी अधिकारिता आवेदक को नहीं है। आवेदक के द्वारा बसंत केवट के माध्यम से उसका अकेला वारिस होने का आधार बताया गया है जबकि इस तरह का कोई बंशावली आजतक आवेदक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि आवेदक को बसंत केवट का एक मात्र उत्तराधिकारी प्रमाणित करता हो। वादी के द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि का जो जमींदार द्वारा उल्फी केबाला दिनांक-07.04.1921 की छायाप्रति प्रस्तुत किया है उसका मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिस कातिब के द्वारा उल्फी केबाला लिखा गया है वह उस अवधि में कार्यरत नहीं है तथा जो मजमून उक्त उल्फी केवाला में अंकित है वह मजमून वर्ष 1945 के बाद प्रचलन में आया था। उक्त उल्फी केबाला जमींदार के द्वारा लिखा गया है जिनके द्वारा सबरजिस्ट्री शब्द नहीं लिखा जाता थाा। उल्फी केवाला में अंक मूल्य, शब्द एवं निश्फ में भिन्नता है। उल्फी केवाला में अंकित अन्य तथ्य एवं स्टाम्प का मूल्य उस समय के अनुसार नहीं है। अतएव उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त दाखिल खारिज रिविजन वाद को खारिज हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोंकन किया। अवलोंकनोपरान्त पाया गया कि दिनांक 06.09.2014 को श्रीमती रीता देवी पति स्व0 अवधेश प्रसाद साह, सा0-रामनगर, पो0-झरीया, जिला-धनबाद वर्तमान साकिन गोविन्दपुर, जिला-धनबाद, झारखंड द्वारा श्री कुन्दन कुमार पिता श्री रामेश्वर प्रसाद, सा0-माधोपुर, पो0-वासुदेवपुर, थाना-कोतवाली, जिला-मुंगेर को मौजा-शामपुर, वार्ड-सी0, सीट नं0-17, तौजी नं0-4212 एवं 1463, प्लॉट नं0-3048, 3047, 3046, 3045 एवं 3051, कुल रकवा में से 20.79 डि0 (बीस दशमलव सात नौ डिसमल) जमीन का मोख्तारनामा दिया गया है जो कि उपरोक्त खेसरे की जमीन अपने परदादा ससुर एवं ससुर के नाम से खतियान एवं खरीदगी जमीन है। उनके मृत्युपरान्त उक्त सम्पत्ति को वारिसान सुत्र से प्राप्त कर मोख्तारनामा देने की जिक्र है। इस आलोक में विपक्षी टुनटुन साह के द्वारा श्री कुन्दन कुमार साह से दिनांक-07.04.2015 को मोख्तारनामा के माध्यम से मौजा-शामपुर, तौजी नं0-1463, वार्ड नं0-6, जमावंदी नं0-38, म्युनिसिपल खेसरा-3046 व 3045 में मवाजी 2.48 डी0 (दो

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

दशमलब चार आठ डिसमल) अर्थात् 01 कट्ठा 10 धुर जो कि रकवा-1080 वर्गफीट होता है का निबंधित केबाल किया गया जिसके आधार पर उक्त जमावंदी सं0-38 से घटकर नया जमावंदी सं0-563 विपक्षी श्री टुनटुन साह के नाम से कायम हुआ उसका म्युनिसिपल खेसरा सं0-3045 एवं 3046 दर्ज है एवं प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद सं0-2096/2015-16 अंकित है। दूसरा तथ्य यह है कि रजिस्टर-।। के अवलोंकन से ज्ञात होता है कि जमावंदी सं0-37, जमावंदी रैयत कन्हाय केवट पे0-भींगोरी केवट, रकवा 2-10 (दो कट्ठा दस धुर) लगान 1.28 पैसा है। इस जमावंदी में खाता खेसरा अंकित नहीं है एवं प्राधिकार कॉलम में भी कोई जिक्र नहीं है। जमावंदी सं0-27 बसंत केवट पे0-बाबू राम केवट, रकवा 1-13-15 (एक कट्ठा तेरह धुर पन्द्रह धुरकी) लगान 1 रूपया दर्ज है। इसमें खाता खेसरा अंकित नहीं है। प्राधिकार कॉलम में कोई जिक्र नहीं है। जमावंदी सं0-50 मसो0 भगीया केवटीन, जौ0-सुखो केवट, रकवा 2-10 (दो कट्ठा दस धुर) लगान 1.25 पैसा है। इसमें खाता खेसरा दर्ज नहीं है। प्राधिकार कॉलम में भी कोई जिक्र नहीं है। उक्त तीनों जमावंदी का रकवा यथावत स्थिति में है। इसमें कोई भी नामांतरण होकर जमीन नहीं घटा है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर ने अपने पारित आदेश में स्पष्ट किया है कि अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि का दाखिल खारिज दखल कब्जा के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है एवं चहारदीवारी से घेरा हुआ है। वादी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मेरे पूर्वज लोको केवट ने बजीर मंडल से वर्ष 1921 को उक्त प्रस्तावित भूमि जिसका मौजा-शामपुर, तौजी नं0-1463, सीट-सी0, खेसरा सं0-3045, रकवा- 5-12 (पांच कट्ठा बारह धुर) एवं खेसरा सं0-3046, रकवा 01-01-15 (एक कट्ठा एक धुर पन्द्रह धुरकी) जमीन खरीद किया है जिसका कुल रकवा 6-13-15 (छह कट्ठा तेरह धुर पन्द्रह धुरकी) है। वादी के द्वारा प्रस्तावित भूमि से संबंधित उल्फी दस्तावेज एवं जमींदारी रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत किया है जो कि अभिलेखबद्ध है एवं लोको केवट के वारिसानों का उक्त जमावंदी कायम है। वादी के द्वारा लोको केवट के वारिसान का कोई वंश वृक्ष अथवा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उल्फी केबाला से संबंधित अन्य कागजातों का मूल प्रति उपलबध कराया गया है जो कि तथ्य से परे है। वादी द्वारा समर्पित उल्फी केवाला तथा विपक्षी द्वारा समर्पित समान अधिकार पत्र (POWER OF ATTORNEY) से संबंधित LEGALITY के संदर्भ में विचार करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है।

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं वादी एवं प्रतिवादी के समर्पित कागजातों के अवलोकनोपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचती है कि प्रश्नगत् भूमि पर प्रतिवादी टुनटुन साह का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। इस आधार पर दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के तहत् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

मुंगेर द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0-19/2016-17 में पारित आदेश में इस न्यायालय को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अनिवार्यता महसूस नहीं होती है। यदि वादी चाहें तो वे सक्षम न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते हैं।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर को बापस भेजें।

लेखापित संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक ..18..रा० दिनांक ..11.01.2020

प्रतिलिपि- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित। निम्न न्यायालय का दाखिल खारिज अपील वाद सं0-19/2016-17 बिनोद चौधरी बनाम् टुनटुन कुमार साह का मूल अभिलेख इस आदेश फलक के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु बापस किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।